

तारीख
हुकम

न्याय आपके द्वारे अधिवान - 2019
लोक अदालत

16.5.17

पत्रावली केम्य कोर्ट तिहरी प्रदेश इला व सील
डिक्रीयाल न अविधानयज वाले कोष 23
विषय 1 C.P.C पैरा 22 विवेक किया कि

मुकदमा के प्रथम शरण मुकदमा प्रारम्भ के
स्वगत अवधिगत मुकदमा प्रारम्भ के रूप में है
अतः अन्त में इतर विद्वा की वरती
इतराज पैरा 22 की अनुमति दी जाने

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली
2008 के अधिन है। अतः डिक्रीयाल अधिवक्ता
के विवेक पर इतराज विद्वा की जाती है अतः
वसील डिक्रीयाल के विवेक पर नवीन इतराज
के रूप में रूप में के साथ पैरा 22 की
अनुमति दी जाती है। पत्रावली केवल इतराज
है का नभवा प्रथम है व वाञ्छित प्रकार है।

पाठसिद्ध अधिकारी
लोक अदालत/कैम्य कोर्ट : तिहरी